न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 64/2024
अनवान : –

1. लीलूराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 25/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 11.9380 हैक्ट भूमि में से 539/29845 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र हरजीराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम लीलूराम पुत्र हरजीराम है जो की प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास व सरपंच ग्राम पंचायत मुन्सरी की तस्दीक में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम लालचन्द की जगह लीलूराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का मुताबिक दस्तावेज नामदुरूस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल पता ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पंर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी [illegible] प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि [illegible] लालचन्द पुत्र हरजीराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है [illegible] सही नाम लीलूराम [illegible] हरजीराम है जो की प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास व सरपंच ग्राम पंचायत मुन्सरी की तस्दीक में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम लालचन्द की जगह लीलूराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 11.9380 हैक्ट भूमि में से 539/29845 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी अपना नाम लालचन्द के स्थान पर लीलूराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व सरपंच ग्राम पंचायत मुन्सरी की तस्दीक में प्रार्थी का नाम लीलूराम दर्ज है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 11.9380 हैक्ट भूमि में से 539/29845 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम **लालचन्द पुत्र हरजीराम के स्थान पर लालचन्द उर्फ लीलूराम पुत्र हरजीराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के नाम लालचन्द पुत्र हरजीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के नाम लालचन्द पुत्र हरजीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र हरजीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर/सशोधन/2025/340 दिनांक : 26/03/25

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :— प्रकरण स0 64/2024 अनवानी लीलूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या — 64/2024

अनवान : —

1. लीलूराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 11.9380 हैक्ट भूमि में से 539/29845 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम **लालचन्द पुत्र हरजीराम के स्थान पर लालचन्द उर्फ लीलूराम पुत्र हरजीराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के नाम लालचन्द पुत्र हरजीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के नाम लालचन्द पुत्र हरजीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र हरजीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रंकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested